लिए अनुमोदन किए गए थे, अन्तर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात ब्रांड नामों का इस्तेमाल करके केजुअल और खेल के जूतों और अन्य खेलों के सामान के उत्पादन में गैर-कानूनी रूप से लगी हुई हैं । यह भी आरोप लगाया गया कि भ्रामक विज्ञापनों का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि इन कम्पनियों को किसी भी उच्च प्रौद्योगिकी का अन्तरण नहीं किया गया है ।

(घ) और (ङ) सरकार ने दो विदेशी सहयोग स्वीकृत किए हैं:—अर्थात् (1) खेल और विशेष प्रकार के जूतों के लिए मै. करोना लि. और मै. पूमा ए.जी. पश्चिम जर्मनी के बीच और (2) खेल और विशेष प्रकार के जूतों/खेल के सामान इत्यादि के लिए मै. वाटा इंडिया लि. और मै. आडिडास स्पोर्टस स्चूहफेब्रीकेन, पश्चिम जर्मनी के बीच । इन सहयोगों में तकनीकी जानकारी का अन्तरण अन्तर्ग्रस्त है । अनुमोदन पत्रों में इस मानक शर्त का समावेश किया जाता है कि लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्माण नहीं किया जायेगा और आंतरिक बिक्री के लिए विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी । सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात ब्रांड नामों के प्रयोग के बारे में दोनों कम्पनियों से स्पष्टीकरण मांगा है ।

**महाराष्ट्र में बिजली का उत्पादन और खपत**

*355. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय बिजली का प्रति व्यक्ति उत्पादन और खपत कितना-कितना है ; और

(ख) उस राज्य में बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान)** : (क) 1988–89 के दौरान महाराष्ट्र में विद्युत का वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्पादन (जनरेशन) तथा खपत क्रमशः 476.44 किलोवाट आवर और 372.04 किलोवाट आवर था ।

(ख) महाराष्ट्र में विद्युत की उपलब्धता में अभिवृद्धि किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं ; विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से इष्टतम विद्युत उत्पादन करना, ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना, कारगर भार प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण आदि । पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों जिनसे राज्यों को अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त होगी के अतिरिक्त आठवीं योजना अवधि में राज्य में नई विद्युत उत्पादन क्षमता की भी आयोजना है ।

**Import of Drugs**

*356. SHRI SIKANDER BAKHT: SHRI ANANT RAM JAISWAL:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question No. 900 given in the Rajya Sabha on the 16th August, 1990 and state: —

(a) What are the names of the drugs which are totally imported and are having import of more than Rupees Fifty lakh each per annum for which his Ministry has received representations from Members of Parliament for inclusion under price control;

(b) whether it is a fact that exclusion of such drugs would encourage imports;

(c) whether it is a fact that the objective spelt out by Government is to boost indigenous production;